

श्रेष्ठक,

श्रीम. प्रकाश गुप्त
संयुक्त माध्यमिक
उत्तर प्रदेश शासन ।

तथा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केंद्र-2 मद्रास केंद्र,
प्रति शिक्षा, नई दिल्ली ।

शिक्षा 7 अनुभाग

लखनऊ: दिनांक

20 अगस्त,

2005

विषय:-


संयुक्त इंटरनेशनल स्कूल साकेतगढ़, सुलेम सराय इलाहाबाद को सी०बी०एस०बी० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी०बी०एस०बी० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
2. विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के भेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौशल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इकाई मिशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे ।

Sanskar International School



- [5] संस्था के शैक्षिक एवं शि्षणात्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य शर्तों में कम वेतनमान तथा अन्य शर्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- [6] कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा-निष्ठा का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- [7] राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निगमित किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- [8] विद्यालय शिक्षार्थ निर्धारित पुस्तक/पंजीकाओं में रखा जायेगा ।
- [9] उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह साया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की त्रुटि या विधिभ्रंश करती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

० विम प्रकाश गुप्त ०
संयुक्त तारीख ०

सूचीकृत विनियम तालिका

प्रतिनिधि निम्नलिखित दो सूचनार्थ एवं आवापक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ।
- 2- राज्यीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, झांझाबाद ।
- 3- शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, झांझाबाद ।
- 4- निरीक्षक, प्रांम भारतीय विद्यालय, उदुपु, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, संस्कृत अंतर्राष्ट्रीय स्कूल तांडेतामनगर, लखनऊ, झांझाबाद ।
- 6- मार्ग सूचक ।

आज्ञा से,
(Signature)

० विम प्रकाश गुप्त ०
संयुक्त तारीख ०

Sanskar International School

(Signature)
Manager